

कार्यालय उप वन संरक्षक, बाड़मेर

फोन/फैक्स नं.-02982-220442

क्रमांक: एफ ()तक./उवसं/2019/ 8798

E-mail : dcf.bmr.forest@rajasthan.gov.in

दिनांक : 23/7/19

निमित्त

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-68 (Old NH-15) के किमी 109.740 से 113.445 के मध्य वायुयानों के उतरने के लिये (Landing Air Strip) के लिये सड़क को चौड़ा करने के संबंध में।

संदर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक F14()2018/ FCA/PCCF/CCF EDS-I dated 11.07.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में Part-II के बिन्दु संख्या 13 में 2649000/-का संलग्न ऑनलाईन किया गया था जो तत्समय ही अपलोड किया गया था। ACF(FCA)JAIPUR द्वारा दिनांक 30.01.2019 को भेजा गया आक्षेप में निर्धारित प्रपत्र में CA Scheme का तैयारी करते समय प्राक्लन में सामान्य परिवर्तन किया गया था। नवीनतम प्राक्लन के तहत प्रति हैक्टर 197012/-की दर से 13.2 हैक्टर भूमि का कुल दर 2600560/-जो Online अपलोड कर दिया गया था जो लिपिकीय त्रुटि के कारण 1805499.00 अंकित कर दिया गया था। जब की ऑनलाईन 2600560/-का प्राक्लन अपलोड किया गया है। प्राक्लन तैयारी के समय तकनीकी नोट के रूप Fencing Cost एवं सुरक्षा कार्य में आनुपातिक रूप से कम नहीं किया गया है। साथ ही मरुस्थलीय परिस्थिति को देखते हुए साईट की आवश्यकता के आधार पर वृक्षारोपण वर्ष एवं प्रथम संधारण वर्ष में 2 बार पानी पिलाने का प्रावधान रखा गया है। उपरोक्त कारणों से प्राक्लन का दर मॉडल 136830.00 प्रति हैक्टर से अधिक हो रहा है। प्राक्लन में उपरोक्त वृद्धि साईट के सफलता हेतु न्यूनतम आवश्यकता है। जिससे कटौती करने से वृक्षारोपण की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः निवेदन है कि निर्धारित प्रपत्र में CA Scheme का कुल 2600560/- का प्राक्लन अनुमोदित कर उच्च कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करावें।

भवदीय


(विक्रम केशरी प्रधान)
(भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

क्रमांक: एफ ()तक./उवसं/2019/ 8799

दिनांक : 23/7/19

प्रतिलिपि : श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ)राजस्थान जयपुर।


उप वन संरक्षक
बाड़मेर